



क्षेत्रीय कार्यालय, बिहार, कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Employee's State Insurance Corporation
(Ministry of Labour & Employment, Govt of India)
पंचदीप भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, पटना-1



Letter No: 42-A-36/11/1/2015-E.III-vol(II)

Dated: 01.01.2019

कार्यालय आदेश संख्या - 01 वर्ष 2019

अपर आयुक्त सह क्षेत्रीय निदेशक, पटना बिहार ने दिनांक - 28.12.2018 को सम्पन्न हुए पुनरीक्षित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्नलिखित उच्च वर्गीय लिपिक/ तदर्थ सहायक को (वेतनमान - Pay Matrix Level - 6, Rs. 35,400-1,12,400) में सहायक/ प्रधान लिपिक के पद पर नियमित प्रोन्नति का आदेश दिया है -

क्रम संख्या	नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती	तदर्थ आदेशित तैनाती
1	चंद्रभूषण सिंह, उच्च वर्गीय लिपिक	निर्माण शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना	निर्माण शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना
2	सुनील कुमार, तदर्थ सहायक	हितलाभ शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना	हितलाभ शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना
3	रामजीवन मिश्रा, तदर्थ सहायक	शाखा कार्यालय, मुजफ्फरपुर	मेडिकल शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना
4	सदानन्द प्रसाद, उच्च वर्गीय लिपिक	Cashier, शाखा कार्यालय समस्तीपुर	वित्त एवं लेखा शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना

- क्रमांक 2 एवं 3 पर वर्णित कर्मचारियों की सहायक संवर्ग में नियमित प्रोन्नति, विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की तिथि से प्रभावी मानी जाएगी तथा क्रमांक 1 एवं 4 पर वर्णित कर्मचारियों की सहायक संवर्ग में नियमित प्रोन्नति, उनके सहायक संवर्ग में कार्य ग्रहण की तिथि से प्रभावी मानी जाएगी।
- श्री चंद्रभूषण सिंह, उच्च वर्गीय लिपिक अगले आदेश तक **Caretaker** (अवधायक) के पद पद यथावत बने रहेंगे।
- यदि कर्मचारी नियमित प्रोन्नति स्वीकार नहीं करते हैं तो इसकी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर गोपनीय शाखा को भेजें। नियमित प्रोन्नति स्वीकार नहीं करने की स्थिति में पुनः उन्हें एक वर्ष तक इस पद पर नियमित प्रोन्नति नहीं दी जाएगी तथा नियमानुसार उनकी वरीयता की क्षति होगी। इस एक वर्ष की अवधि के दौरान यदि उनसे कनीय कर्मचारी को इस पद पर नियमित प्रोन्नति होती है तो वे कनीय कर्मचारी सहायक/ प्रधान लिपिक संवर्ग की वरीयता सूची में उनसे वरीय होंगे।
- उपर्युक्त कर्मचारियों की प्रोन्नति कर्मचारी राज्य बीमा निगम, (कर्मचारीवृन्द एवं सेवा की शर्तें) विनियम, 1959 जो समय-समय पर संशोधित होते रहें हैं के अधीन इस संवर्ग में लागू होने वाली सेवा शर्तों के तहत होगी।
- उपरोक्त कर्मचारियों के द्वारा FR(22(1)A(1) के अंतर्गत वेतन निर्धारण हेतु विकल्प का प्रयोग आदेश निर्गत तिथि से एक माह के अंदर किया जा सकता है। एक माह के पश्चात वेतन निर्धारण हेतु प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। पूर्व में प्रोन्नत वेतनमान में वेतन निर्धारण की स्थिति में पुनः वेतन निर्धारण नहीं होगा।
- नियमित प्रोन्नत पद पर योगदान की स्वीकृति प्रशासन शाखा को भेजी जाए।
- उपरोक्त कर्मचारियों का स्थानांतरण/ पदस्थापना आवश्यकतानुसार बिहार क्षेत्र में कहीं भी किया जा सकता है।

सेवा में,

संबंधित कर्मचारी।

(ज्योति प्रसाद)
उप निदेशक (प्रशासन)

प्रतिलिपि:

- महानिदेशक, स्थापना-1, मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली।
- चिकित्सा अधीक्षक, आदर्श अस्पताल, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, फुलवारीशरीफ पटना।
- चिकित्सा अधीक्षक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल, बिहटा पटना।
- सभी शाखाधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम पटना।
- सभी शाखा प्रबंधक, शाखा कार्यालय, बिहार क्षेत्र।
- शाखाधिकारी, हिन्दी शाखा, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय पटना।
- क्षेत्रीय निदेशक के निजी सचिव, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय पटना।
- व्यक्तिगत संचिका/ गार्ड फ़ाइल/ नोटिस बोर्ड।



क्षेत्रीय कार्यालय, बिहार, कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Employee's State Insurance Corporation
(Ministry of Labour & Employment, Govt of India)
पंचदीप भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, पटना-1



Letter No: 42-A-36/11/1/2015-E.III-vol (II)

Dated: 01.01.2019

कार्यालय आदेश संख्या - 02 वर्ष 2019

अपर आयुक्त सह क्षेत्रीय निदेशक, पटना बिहार ने दिनांक - 28.12.2018 को सम्पन्न हुए विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्नलिखित बहु कार्य स्टाफ को (वेतनमान - Pay Matrix Level - 2, Rs. 19,900 - 63,200) में निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर नियमित प्रोन्नति का आदेश दिया है -

क्रम संख्या	नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती	तदर्थ आदेशित तैनाती
1	मकसूदन प्रसाद, बहु कार्य स्टाफ	सामान्य शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना	सामान्य शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना

- उपरोक्त कर्मचारी की सहायक संवर्ग में नियमित प्रोन्नति, उनके निम्न वर्गीय लिपिक में कार्य ग्रहण की तिथि से प्रभावी मानी जाएगी।
- यदि कर्मचारी नियमित प्रोन्नति स्वीकार नहीं करते हैं तो इसकी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर गोपनीय शाखा को भेजें। नियमित प्रोन्नति स्वीकार नहीं करने की स्थिति में पुनः उन्हें एक वर्ष तक इस पद पर नियमित प्रोन्नति नहीं दी जाएगी तथा नियमानुसार उनकी वरीयता की क्षति होगी। इस एक वर्ष की अवधि के दौरान यदि उनसे कनीय कर्मचारी को इस पद पर नियमित प्रोन्नति होती है तो वे कनीय कर्मचारी निम्न वर्गीय लिपिक संवर्ग की वरीयता सूची में उनसे वरीय होंगे।
- उपर्युक्त कर्मचारियों की प्रोन्नति कर्मचारी राज्य बीमा निगम, (कर्मचारीवृन्द एवं सेवा की शर्तों) विनियम, 1959 जो समय - समय पर संशोधित होते रहें हैं के अधीन इस संवर्ग में लागू होने वाली सेवा शर्तों के तहत होगी।
- उपरोक्त कर्मचारियों के द्वारा FR(22(1)A(1) के अंतर्गत वेतन निर्धारण हेतु विकल्प का प्रयोग आदेश निर्गत तिथि से एक माह के अंदर किया जा सकता है। एक माह के पश्चात वेतन निर्धारण हेतु प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। पूर्व में प्रोन्नत वेतनमान में वेतन निर्धारण की स्थिति में पुनः वेतन निर्धारण नहीं होगा।
- नियमित प्रोन्नत पद पर योगदान की स्वीकृति प्रशासन शाखा को भेजी जाए।
- उपरोक्त कर्मचारियों का स्थानांतरण/ पदस्थापना आवश्यकतानुसार बिहार क्षेत्र में कहीं भी किया जा सकता है।

सेवा में,

संबंधित कर्मचारी।

— ६० —

(ज्योति प्रसाद)
उप निदेशक (प्रशासन)

प्रतिलिपि:

- महानिदेशक, स्थापना-1, मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली।
- चिकित्सा अधीक्षक, आदर्श अस्पताल, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, फुलवारीशरीफ पटना।
- चिकित्सा अधीक्षक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल, बिहटा पटना।
- सभी शाखाधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम पटना।
- सभी शाखा प्रबंधक, शाखा कार्यालय, बिहार क्षेत्र।
- शाखाधिकारी, हिन्दी शाखा, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय पटना।
- क्षेत्रीय निदेशक के निजी सचिव, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय पटना।
- व्यक्तिगत संचिका/ गार्ड फाइल/ नोटिस बोर्ड।

— ६० —